



2026:AHC: 177116

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 17 वर्ष 2026

प्रशांत चौधरी (अवयस्क) और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अजय कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 73

माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन

विद्वान अधिवक्ता श्री विनीत सिंह परमार ने आज न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से अपनी उपस्थिति दर्ज की है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

आदेश दिनांक 7 अगस्त, 2026 के माध्यम से, राज्य को बंदी (कार्पस), प्रशांत चौधरी को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में, पुलिस थाना शाहगंज, जिला आगरा में तैनात थानाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद वशिष्ठ (पी.एन.ओ. 902291302), हेड कांस्टेबल युनेंद्र सिंह (पी.एन.ओ. 112325679) और महिला हेड कांस्टेबल कल्पना (पी.एन.ओ. 112303756) द्वारा उसे इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

इस न्यायालय ने बंदी (कार्पस), प्रशांत चौधरी से बातचीत किया, जिसने खुलासा किया कि उसकी आयु लगभग 14 वर्ष है और वह होली लाइट पब्लिक स्कूल, शाहगंज, आगरा में कक्षा 7 में पढ़ रहा है। उसने आगे खुलासा किया कि वह वर्तमान में अपनी माता और नाना के साथ रह रहा है। उसने स्वीकार किया कि उसके माता-पिता के बीच विवाद है। उसने कहा कि वह अपनी माता की

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



संगति में सहज है और अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहता है। हालांकि, उसने अपने पिता के साथ बातचीत बनाए रखने की अपनी इच्छा व्यक्त किया।

बंदी (कार्पस) के साथ बातचीत से, ऐसा प्रतीत होता है कि, वर्तमान में, वह अपनी माता की संगति में सहज और खुश है। इसलिए, यह न्यायालय उसकी माता के पास बंदी (कार्पस) की अभिरक्षा को बाधित करना उचित नहीं समझता है।

इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता, चंद्र लोक चौधरी से भी बातचीत किया, जिसने खुलासा किया कि उसने निर्णय और डिक्री दिनांक 04.11.2019 के माध्यम से अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय संख्या 1, आगरा के न्यायालय से अपनी अलग रह रही पत्नी, श्रीमती कोनिका निमेश के विरुद्ध तलाक की एकतरफा डिक्री प्राप्त की थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 4 के बीच कोई विद्यमान वैवाहिक संबंध नहीं है, और उनके बीच कोई भावनात्मक बंधन विद्यमान नहीं प्रतीत होता है। ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता के लिए अपनी अलग रह रही पत्नी के साथ रहना संभव नहीं है।

याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि वह मेवात, राजस्थान के एक विधि महाविद्यालय में संकाय सदस्य के रूप में काम कर रहा है, और अच्छी आय अर्जित कर रहा है। उसने दावा किया कि, बंदी (कार्पस) का पिता होने के नाते, वह उसकी अभिरक्षा का हकदार है। हालांकि, बंदी (कार्पस) के साथ बातचीत से यह स्पष्ट है कि, वर्तमान में, उसका अपने पिता के साथ कोई महत्वपूर्ण भावनात्मक जुड़ाव नहीं है और वह उसके साथ रहने का इच्छुक नहीं है।

इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 4, श्रीमती कोनिका निमेश से भी बातचीत किया, जिसने खुलासा किया कि उसके पति ने धोखाधड़ी से तलाक की पूर्वोक्त एकतरफा डिक्री प्राप्त की थी, क्योंकि उसे उक्त कार्यवाहियों में कभी कोई नोटिस नहीं मिला था। उसने आगे तर्क दिया कि उसने एक रिकॉल आवेदन दाखिल करके उक्त डिक्री को चुनौती दी है, जिसमें रिकॉल आवेदन दाखिल करने में विलंब को संबंधित न्यायालय द्वारा पहले ही माफ कर दिया गया है। उसने आगे तर्क दिया कि, बंदी (कार्पस) की माता होने के नाते, वह उसकी अभिरक्षा की हकदार है। हालांकि, उसने स्वीकार किया कि वह वर्तमान में कोई आय अर्जित नहीं कर रही है और अपने भरण-पोषण के लिए अपने माता-पिता पर निर्भर है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



चूंकि याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 4 के विरुद्ध तलाक की डिक्री पहले ही प्राप्त कर लिया है, इसलिए यह न्यायालय जीवनसाथियों को उनके वैवाहिक घर में एक साथ रहना फिर से शुरू करने के लिए राजी नहीं कर सका। बंदी (कार्पस) के साथ बातचीत से यह स्पष्ट है कि, वर्तमान में, वह याचिकाकर्ता, चंद्र लोक चौधरी के साथ कोई महत्वपूर्ण भावनात्मक बंधन साझा नहीं करता है। इन परिस्थितियों में, यह न्यायालय इस प्रक्रम पर बंदी (कार्पस) की अभिरक्षा याचिकाकर्ता को सौंपना उचित नहीं समझता है।

हालांकि, याचिकाकर्ता और बंदी (कार्पस) के बीच भावनात्मक बंधन को सुविधाजनक बनाने और विकसित करने के लिए, याचिकाकर्ता को मुलाकात और बातचीत के अधिकार प्रदान करना उचित होगा। तदनुसार, याचिकाकर्ता, चंद्र लोक चौधरी को निम्नलिखित मुलाकात और बातचीत के अधिकार प्रदान किए जाते हैं:

- (i) याचिकाकर्ता प्रत्येक रविवार को सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच आगरा में याचिकाकर्ता की बहन के निवास पर बंदी (कार्पस) से मिलने का हकदार होगा।
- (ii) याचिकाकर्ता मोबाइल फोन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिदिन शाम 6:00 बजे से रात 9:00 बजे के बीच बंदी (कार्पस) के साथ बातचीत करने का भी हकदार होगा।
- (iii) याचिकाकर्ता को स्कूल की छुट्टियों और अवकाश के दौरान अवयस्क बंदी (कार्पस) की अस्थायी अभिरक्षा रखने का भी अधिकार होगा। हालांकि, याचिकाकर्ता स्कूल की ऐसी छुट्टी या अवकाश की समाप्ति से पूर्व प्रत्यर्थी संख्या 4, श्रीमती कोनिका निमेश को बंदी (कार्पस) की अभिरक्षा सौंप देगा।

राज्य प्राधिकारियों, साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि पूर्वोक्त बैठकें और बातचीत एक सौहार्दपूर्ण और अनुकूल वातावरण में हों। पक्षकार शांति बनाए रखेंगे और ऐसी बैठकों या बातचीत के दौरान कोई अनियंत्रित दृश्य उत्पन्न नहीं करेंगे या अन्यथा कानून व्यवस्था को भंग नहीं करेंगे।

पूर्वोक्त निर्देशों और टिप्पणियों के साथ, वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका **निस्तारित** की जाती है।

(न्यायमूर्ति संदीप जैन)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



21 अगस्त, 2026

मयंक

Translated Versionn. Not For legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”